न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः--जीसीएमएस नम्बर 2025/1777

1. श्री कालूराम पुत्र सरदारमल, निवासी–दन्ताला गुर्जरान, पुलिस थाना–चन्दवाजी, जिला–जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार।

––रेस्पोडेन्ट

दिनांकः 01.12.2025

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान बंदी पैरोल रिहाई नियम 2021 के अंतर्गत जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2025 के खिलाफ प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी ने अपनी अपील में दर्ज किया है कि अपीलार्थी श्री कालूराम पुत्र सरदारमल, निवासी–दन्ताला गुर्जरान, पुलिस थाना–चन्दवाजी, जिला–जयपुर वर्तमान में केन्द्रीय कारागृह जयपुर में 10 वर्ष कारावास की सजा भुगत रहा है। अपीलार्थी द्वारा प्रथम 20 दिवस नियमित पैरोल अवकाश हेतु आवेदन किया गया था जिस पर अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह जयपुर ने अपीलार्थी को 20 दिवस नियमित पैरोल प्रकरण तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति जयपुर) को भिजवाया गया, दिनांक 28.08.2025 को जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति जयपुर की बैठक आयोजित हुई जिसमें जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के आदेश दिनांक 04.09.2025 द्वारा अपीलार्थी का 20 दिवस नियमित पैरोल प्रकरण अस्वीकृत कर दिया गया।

अपीलार्थी ने अपनी अपील में यह भी अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा समाज में पुनः स्थापित होने हेतु प्रथम 20 दिवस नियमित पैरोल प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट जयपुर को प्रेषित किया गया था, जो जिला कलक्टर जयपुर द्वारा खारिज कर दिया गया है। अतः अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी के 20 दिवस नियमित पैरोल प्रकरण पर पुनः विचार कर अपीलार्थी को 20 दिवस नियमित पैराल पर रिहा करने के आदेश प्रदान करने का श्रम करावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (प्रभारी अधिकारी न्याय) की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अंकित किया गया है कि पैरोल प्रकरण के संबंध में उक्त दण्डित बंदी का 20 दिवस नियमित पैरोल प्रकरण अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह जयपुर के पत्रांक 8056–58 दिनांक 31.07.2025 द्वारा प्राप्त हुआ, जिसमें अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह जयपुर द्वारा की गई टिप्पणी अनुसार उक्त बंदी राजस्थान पैरोल रिहाई नियम 2021 के उप नियम 16(2)(ए) के तहत प्रतिबंधित धारा से दण्डित होने के कारण पैरोल पर रिहा किये जाने की प्रवंदना नही की गई है। जिला परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण के पत्रांक 3284 दिनांक 27.08.2025 द्वारा भी उक्त नियम के तहत दण्डित होने के कारण नियमानुसार पैरोल देय नही होना बताया है। उक्त पैरोल प्रकरण पैरोल परामर्शदात्री समिति जयपुर की बैठक दिनांक 28.08.2025 में रखा गया, जिसमें अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह जयपुर एवं जिला परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की उक्त रिपोर्ट के आधार पर पैरोल पर रिहा किये जाने की अनुशंषा नही की गई है। जिस आधार पर सर्वसम्मति से बंदी के पैरोल प्रार्थना पत्र को उक्त बैठक में अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया जिससे विदित होता है कि राजस्थान कैदियों की पैरोल पर रिहाई नियम 2021 के नियम 15 के अनुसार पैरोल स्वीकृति को अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करने का अवसर माना जाना चाहिये तथा कैदियों द्वारा पैरोल का अधिकार के रुप में दावा नही किया जावेगा तथा हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी बंदी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति जयपुर के समक्ष समाज में पुनःस्थापित होने के लिए 20 दिवस नियमित पैरोल स्वीकृत करने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति जयपुर द्वारा उक्त बंदी के विरुद्ध राजस्थान पैरोल रिहाई नियम 2021 के उप नियम 16(2)(ए) के तहत प्रतिबंधित धारा से दण्डित होने के कारण पैरोल प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है। ऐसे में उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर जिला परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये जाने के निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतित नही होने से जिला परामर्शदात्री समिति के निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर